<u>सार्वजनिक सूचना</u>

छावनी क्षेत्र लैन्सडाउन, रुड़की, देहरादून, चकराता, लैण्ढौर, क्लेमेन्ट टाउन एवं मेरठ छावनी, जोकि रक्षा सम्पदा कार्यालय, मेरठ मंडल के आधीन समस्त पट्टा धारकों/लीज धारकों जिन्हें पूर्व में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा कैन्ट कोड 1899, कैन्ट कोड 1912 व छावनी भूमि प्रशासन नियमावली (सी.एल.ए.आर.) 1925 व 1937 के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्तियां लीज पर दी गयी हैं तथा जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या जिन सम्पत्तियों की लीज अवधि निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है के संबंध में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने नयी पॉलिसी (Policy) अपने पत्र संख्या 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 10.03.2017 के द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है जिसके माध्यम से यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी लीज/पट्टे जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या जिनकी लीज अवधि निकट भविष्य में दिनांक 31.12.2018 से पहले समाप्त होने वाली हो ऐसी सभी लीज/पट्टे की अवधि दिनांक 31.12.2018 तक सशर्त बढ़ा दी जायेगी। लीज/पट्टे के नवीनीकरण एवं इनसे संबंधित समस्त जानकारियों का विवरण कार्यालय, रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ मंडल,मेरठ छावनी के नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है तथा कैन्ट बोर्ड लैन्सडाउन की बेबसाइट www.lansdownecb.org.in कैन्ट बौर्ड रुड़की की बेबसाइट www.cbroorkee.org.in कैन्ट बोर्ड देहरादून की बेबसाइट www.cbdehradun.org.in कैन्ट बोर्ड चकराता की बेबसाइट www.cbchakratat.org कैन्ट बोर्ड लैण्ढौर की बेबसाइट www.cblandour.org कैन्ट बोर्ड क्लेमैन्ट टाउन की बेबसाइट www.cbclementtown.org.in एवं कैन्ट बोर्ड मेरठ की बेबसाइट www.cbmrt.org.in पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

भावना सिंह

दिनांकः 28 मार्च 2017

रक्षा सम्पदा अधिकारी,
मेरठ मंडल, मेरठ छावनी